लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023 दूरभाष– 0755–2600115

क्र/विद्या/अतिथि शिक्षक/2018/2288 भोपाल दिनांक 10.7.2018

प्रति,

महत्वपूर्ण-समयसीमा

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिलें मध्य प्रदेश

विषयः- अतिथि शिक्षक हेतु रिक्त पदों को अद्यतन करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. संचालनालय का पत्र क्र./विद्या/अतिथि शिक्षक/टी/2017/1776 दिनांक 31.5.2018।
2. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्र एफ/.44-13/2017/20-2 दि 7.7.2018।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश के बिन्दु क्र-1.2 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी को अद्यतन करने के निर्देश दिये जा चुके है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 9.7.2018 को आयोजित वीडियो कॉफ्रेंसिंग में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस प्रक्रिया को विस्तार से बताया जा चुका है।

1. **HS/HSS के लिये :** संचालनालय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से एजूकेशन पोर्टल के वेकेंसी मॉड्यूल में अपडेट करने की सुविधा दी गयी है. अपडेशन की प्रक्रिया में दो कॉलम प्रदर्शित होते हैं-

   1) स्वीकृत पद 2) **01 जुलाई की स्थिति में कार्यरत पद**

   संचालनालय के सन्दर्भित पत्र के अनुसार जिले को "01 जुलाई की स्थिति में HS/HSS में कार्यरत पद" को अपडेशन की कार्यवाही 7 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। स्वीकृत पद में संशोधन का अधिकार जिले को नहीं दिया गया है, यदि किसी जिले को किसी विशेष स्कूल में स्वीकृत पद की संख्या में परिवर्तन करना है, तो वे cpibhop@nic.in पर जानकारी एक्सेल में प्रेषित करें।
2. **प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के लिये :** नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम , 2011 के नियम 17 (2) मे किए गए प्रावधानो के अनुसार विद्यालय वार रिक्त पदों की गणना छात्र नामांकन के आधार पर की जाती है। समग्र शिक्षा पोर्टल में वर्ष 2017-18 के नामांकन के आधार पर अतिथि शिक्षको की संख्या का आकलन किया जाए।
3. विद्यालय जिनमें शिक्षक अतिशेष में चिन्हित किये गये हैं, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों नहीं रखे जायें।
4. स्थानांतरण/सेवानिवृति इत्यादि के फलस्वरुप एजूकेशन पोर्टल में शिक्षकों की स्कूल के साथ मेपिंग को अपडेट नहीं होने से रिक्तियां गलत प्रदर्शित होती है, तथा इस प्रकार की विसंगति शिक्षामित्र एप्प की कार्यशाला में भी बताई गयी है। इन प्रकरणों को समयसीमा में अपडेट करें।
5. किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाए अन्यथा सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी वित्तीय अनियमितता के दोषी होंगे। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

विद्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने/स्कूल में च्वाईस फिलिंग का कार्य 14.07.18 से प्रारम्भ हो रहा है, अत: जिले की समस्त रिक्तियों को ध्यानपूर्वक जांच लें एवं आवश्यक होने पर अद्यतन किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 12 जुलाई'2018 तक अनिवार्यत: पूर्ण करायें, इसके पश्चात रिक्तियों के अद्यतन का कार्य बंद कर दिया जावेगा और यह मान लिया जायेगा की वर्तमान रिक्तियां ही वास्तविक रिक्तियां है।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण

पृ.क्रमांक / अतिथि शिक्षक /2018/2289 भोपाल, दिनांक 10.7.2018

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुडा भवन भोपाल |
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश |
4. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना केंद्र विंध्यांचल भवन भोपाल |
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्यप्रदेश |

आयुक्त
लोक शिक्षण